क्रम-संख्या--593

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 23 सितम्बर, 1983

आश्विन 1, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 2717/सत्रह-वि-1-1(क)-19-1983

लखनऊ, 23 सितम्बर, 1983

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1983 पर दिनांक 20 सितम्बर, 1983 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1983)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।

(2) यह 2 जुलाई, 1983 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(4) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (क-4) में उल्लिखित कोई अन्य राज्य स्तर सहकारी समिति या उक्त अधिनियम के अधीन निबंधित उसकी सदस्य सहकारी समिति से सम्बद्ध सेवा,

(5) किसी ऐसी सरकारी कम्पनी से जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत समादत्त अंश पूंजी राज्य सरकार धारण कर रही हो, या किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित या गठित किसी अन्य सांविधिक निकाय (जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) से सम्बद्ध सेवा,

(6) ऐसे विषयों से सम्बद्ध किसी अन्य सेवा जिसके सम्बन्ध में राज्य विधान मण्डल को विधि बनाने की शक्ति है, और जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ऐसी राय होने पर कि उसमें हड़ताल से किसी लोकोपयोगी सेवा, लोक सुरक्षा के अनुरक्षण या जन-जीवन के लिये आवश्यक सम्भरण और सेवायें बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या जिसके फलस्वरूप जनता को बड़ा कष्ट होगा, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अत्यावश्यक सेवा घोषित करे।"

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह,

सचिव।

No. 2717(2)/XVII-V—1-1(Ka)-19-1983

Dated Lucknow, September 23, 1983

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Atyawashyak Sewaon Ka Anurakshan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam, Sankhya 24 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 20, 1983:

THE UTTAR PRADESH ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE (AMENDMENT) ACT, 1983

[U. P. Act No. 24 of 1983]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966

It is hereby enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance (Amendment) Act, 1983.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 2, 1983.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. XXX of 1966.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (*a*), *after* sub-clause (iii), the following sub-clauses shall be *inserted*, namely—

"(iv) any service in connection with the U. P. State Co-operative Land Development Bank or any other State Level Co-operative Society, mentioned in clause (*a*-4) of section 2 of the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965, or its member co-operative societies, registered under the said Act ;

(v) any service in connection with any Government Company, in which not less than fifty-one per cent paid up share capital is held by the State Government, or any other statutory body (by whatever name called) established or constituted by or under any Uttar Pradesh Act ;

(vi) any other service connected with matters with respect to which State Legislature has power to make laws and which the State Government, being of opinion that strikes therein would prejudicially affect the maintenance of any public utility service, the public safety or the maintenance of supplies and services necessary for the life of the community or would result in the infliction of great hardship on the community, may, by notification declare to be essential service for the purpose of the Act."

U.P. Ordinance no. 34 of 1983.

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Essential Services Maintenance (Amendment) Ordinance, 1983, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,

G. B. SINGH,

Sachiv.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 236 सा० (विधा०)--(2310)--1983--800 (मेक०)।